

. तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज किशन खुड़ीवाल बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 72/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.06.18	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी किशन खुड़ीवाल पुत्र बस्तीराम पता चौथी मंजिल मजदूर किसान भवन, गांधी टॉवर जालोरीगेट, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 06.03.18 में उसके द्वारा (1) गुलजग इण्ड0 प्रा.लि. ग्राम पालड़ी की राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 1956 के आवेदन की सम्पूर्ण प्रमाणित प्रतिलिपि व औद्योगिक श्रेणी में किया गया भू-परिवर्तन के मार्गदर्शिका की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	